

30.05.18

अधिवक्ता उभयपक्ष उप०) मूल प्रकरण के साथ दि. 19.06.18 को पेश हो।

जिला कलेक्टर
दीपा

19.06.18

आज 10 पक्षों के बीच खाली दिनांक होने से तारीख पेशी दी गई। मूल आदेशों की पालना में दिनांक 11.07.18 को पेश हो।

जिला कलेक्टर, दीपा

11.07.18

अधिवक्ता अजी० व राजकीय अधिवक्ता उप०) मूल प्रकरण के साथ दि० 23.07.18 को पेश हो।

जिला कलेक्टर
दीपा

23.07.18

अधिवक्ता अजी० व राजकीय अधिवक्ता उप०) मूल प्रकरण का निर्णय हो चुका है। इसलिए प्रा० पत्र स्वगत विचाराधीन रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रा० का स्वगत प्रा० पत्र खारिज किया जाता है। मूल प्रकरण में संलग्न रहे। खुले न्यायालय सुनाया गया।

जिला कलेक्टर
दीपा

